UPMT010020572026

न्यायालय:–अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–01, मथुरा।
उपस्थित–राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2027/2026
संतोष वर्मा आदि प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

अपराध संख्या–77/2025, धारा–498A, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना–गोवर्धन, जिला–मथुरा के अभियुक्तगण **संतोष वर्मा, श्रीमती निशा उर्फ उषा वर्मा एवं हिना** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा काव्या उर्फ अंजली द्वारा सबंधित थाने पर इस आशय में तहरीर दी गयी कि उसकी शादी दिनांक–06.12.2023 को होटल हीरा क्रिस्टल इन डेम्पियर नगर, मथुरा में वीरेन्द्र उर्फ विनीत पुत्र संतोष वर्मा, निवासी 19/10 कूंचा साधुराम, फुलट्टी बाजार आगारा, जिला आगरा के साथ सम्पन्न हुयी थी। शादी में उसके पिता ने वर पक्ष की मांग के अनुसार 4.5 लाख रूप्ये नकद, तीन तोला सोने के आभूषण एवं घर–गृहस्थी का समस्त सामान दिया था। शादी में कुल 08 लाख रूपया खर्च किया था। कुछ दिन वादिनी मुकदमा के ससुराल वालों ने उसे ठीक–ठाक रखा, लेकिन कुछ दिन बाद से शादी में दिये गये दान–दहेज से असंतुष्ट होकर उसके पिति, ससुर, सास व ननद अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच तोला सोना एवं पांच लाख रूपये की मांग करने लगे, मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने लगे। दिनांक–29.04.2024 को उसका पति उसकी मां से तीन लाख रूपया ले गया। वादिनी का पति उसके पिता के साथ दयालबाग में सर्राफे की दुकान पर बैठने के अलावा लोन के लेन–देन में दलाली का काम भी करता है। वादिनी पति ने, उसके पिता को बहकाकर बेईमानी की नीयत से कार पर चार लाख रूपये का लोन निकलवाने का बहाना बनाकर आठ लाख रूपये का लोन निकलवा लिया तथा आधे रूपयों को बीच में खा गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुयी। ससुराल में रहने के उपरांत वादिनी अपने पति से मई, 2024 में गर्भवती हो गयी। गर्भवती होते ही ससुराल वालों की दहेज की भूख और बढ़ गया। उक्त लोगों को किसी तरह से यह पता पड़ गया कि उसके पिता गोवर्धन की दुकान को बेचना चाह रहे हैं, तो उक्त लोग 50 लाख रूपये दहेज की मांग करने लग और पुनः वादिनी के साथ मारपीट करने लगे तथा उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने लगे। दिनांक–13.09.2024 को उक्त लोग ने वादिनी मुकदमा को मारपीट कर एक जोड़ी पहने कपड़ों में गर्भावस्था में घर से निकाल दिया और कहा कि तब तक नहीं आना, जब तक दुकान की बिकने की रकम में से 50 लाख रूपये ने आएं। वह दिनांक–13.09.2024 से अपने मायके में रहने रही है। वादिनी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्बंधित थाने पर पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्तगण की तरफ से धारा–482 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत, अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका जतायी गयी है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। अभियुक्तगण ने कभी दहेज के तंग व परेशान किया गया और न ही कोई मारपीट की गयी है परन्तु परिवादिनी द्वारा जानबूझकर तंग व परेशान करने एवं दबाव बनाने के लिये अभियुक्तगण को

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.06.20 09:49:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

झूटा फंसाया गया है। वादिनी स्वयं की इच्छा से अपने मायके में रह रही है। उक्त मामले में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही खारिज हुआ है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता हैं। आवेदक/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः उक्त कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्तगण पर वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज में अतिरिक्त पचास लाख रूपये की मांग करने, मांग पूरी न होने पर वादिनी मुकदमा के साथ गाली–गलौज करते हुए मारपीटकर घर से निकाल देने व जान से मारने की धमकी देना आक्षेपित है। उक्त प्रकरण पारिवारिक है। उक्त मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। उक्त मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपराध संख्या–77/2025, धारा–498A, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना–गोवर्धन, जिला–मथुरा के अंतर्गत यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो प्रत्येक अभियुक्त को मु० 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन मुक्त किया जाए।

1–अभियुक्तगण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ हेतु उपस्थित होंगे।

2– अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किये जाने आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे।

3– अभियुक्तगण उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, जैसा अन्य कोई अपराध नहीं करेंगे।

4– अभियुक्तगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेंगे।

बन्धपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात सम्बन्धित मजिस्ट्रेट आदेश की प्रति थानाध्यक्ष/विवेचक एवं पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्रेषित करें।

दिनांक–09.06.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।